चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/3632
दिनांक : 28.05.2021

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप विदित ही है कि उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर आई0जी0आर0एस0 से सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं निरन्तर की जाती है, समीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनेक महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के माध्यम से वांछित सूचना समयानुसार उपलब्ध नही करायी जा रही हैं व आई0जी0आर0एस0 से सम्बंधित प्रकरणों की गहनता से जॉच भी नही की जा रही है, जिस कारण से उनकी गुणवत्ता निम्न स्तर की होने के कारण उक्त प्रकरणों को डिफाल्टर की श्रेणी में डाल दिया जाता है। जिसे शासन द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

इस विषय में विश्वविद्यालय द्वारा आपको बार-बार निर्देशित किया गया है कि आप अपने-अपने महाविद्यालयों/संस्थानों की आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के माध्यम से मांगी गयी सूचनाओं/प्रकरणों को अध्ययनोपरान्त समयानुसार एवं गुणवत्तापूर्ण ही आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर अपलोड कराये। किन्तु कतिपय महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उपरोक्त पोर्टल पर सम्बन्धित सूचना को समयानुसार तथा गुणवत्ता के आधार पर अपलोड नही किया जा रहा है, जिस कारण से शासन स्तर पर विश्वविद्यालय की छवि धूमिल होती है, जो अत्यन्त खेद का विषय है जिस पर मा0 कुलपति जी द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने-अपने महाविद्यालय/संस्थान से सम्बंधित प्रकरणों का गहन अध्ययन कर समयबद्ध एवं गुणवक्तापूर्वक निस्तारित कर उक्त पोर्टल पर अपलोड करने हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करायें। यदि किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आई0जी0आर0एस0 के प्रकरणों का समयान्तर्गत निस्तारण नही किया जाता है अथवा शासन द्वारा किसी भी प्रकरण पर संस्थान/महाविद्यालय के विरूद्ध किसी भी कार्यवाही हेतु संस्तुति की जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान का होगा तथा उस महाविद्यालय/संस्थान की सम्बद्धता समाप्त करने हेतु पत्रावली मा0 कार्यपरिषद को संदर्भित कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तर दायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/सचिव का होगा।

अतः उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

28.5.2021

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति-कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
03. विश्वविद्यालय, प्रेस प्रवक्ता।
04. प्रभारी, वेबसाइट

कुलसचिव